उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन

नीति का बिन्दु सं०/क्रमांक	नीति में विद्यमान व्यवस्था	नीति में संशोधित प्रस्तावित व्यवस्था
	1- प्रस्तावना	
1	प्रस्तावना उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में जैव ऊर्जा उद्यमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम 2018 लागू किया गया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत जैव ऊर्जा उद्यमों को पूंजीगत उपादान, राज्य जीएसटी की 10 वर्षों तक शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति तथा इन उद्यमों की स्थापना हेतु भूमि क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट की सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी थी। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक विभिन्न जैव ऊर्जा उत्पादों व तकनीकों से सम्बन्धित 14 परियोजनाओं को स्वीकृति पत्र निर्गत किये गये हैं। वर्तमान परिदृश्य में कृषि अपशिष्ट को खेतों में ही जला दिये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न पर्यावरणीय संकट तथा भूमि की उत्पादकता में क्षति की समस्या के समाधान हेतु और भी प्रभावी ढंग से कृषि अपशिष्ट आधारित जैव ऊर्जा उद्यमों को	कोई परिवर्तन नहीं

	बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है। किसानों के लिए अतिरिक्त आय तथा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर सृजित करने हेतु भी जैव ऊर्जा उद्यमों की स्थापना से विशेष बल मिलेगा। इसी प्रकार प्रदेश में व्यापक रूप से उपलब्ध नगरीय ठोस अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, कृषि उपज मंडियों के अपशिष्ट तथा चीनी मिलों के अपशिष्ट से जैव ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रचुर सम्भावनाओं को फलीभूत करने हेतु भी वर्तमान नीतिगत संरचना में परिमार्जन किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है।	
1.1-1.6	1.1 इस नीति का नाम "उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022" है। 1.2 इस नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सुविधाओं तथा प्रोत्साहनों के माध्यम से निजी निवेशकों/ विकासकर्ताओं को आकर्षित कर उनके माध्यम से जैव ऊर्जा उद्यमों की स्थापना निर्माण, संचालन एवं स्वामित्व आधार पर कराई जायेगी। 1.3 इस नीति की कालावधि अधिसूचना के दिनांक से पाँच वर्ष तक के लिए होगी तथा इसके अन्तर्गत पंजीकृत तथा कमिशन होने वाली जैव ऊर्जा इकाईयों को नीति के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ तथा सुविधायें परियोजनाओं के सम्पूर्ण जीवन काल तक प्राप्त होंगी। नई नीति की अधिसूचना की तिथि से पूर्ववर्ती राज्य	कोई परिवर्तन नहीं

	जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम–2018 तथा राज्य जैव ऊर्जा नीति–2014 समाप्त समझी जायेगी। पूर्व में निर्गत जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम 2018 के अन्तर्गत जिन इकाइयों को स्वीकृति पत्र निर्गत किया जा चुका है, को उक्त स्वीकृति पत्रों में वर्णित लाभ नियत शर्तों के अधीन प्राप्त होते रहेंगे। 1.4 इस नीति के अन्तर्गत मात्र नये प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना की दशा में तथा पुरानी यूनिट के विस्तार में नये प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना की दशा में ही लाभ तथा सुविधाएं अनुमन्य होंगी। 1.5 इस नीति के अन्तर्गत भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जैव ऊर्जा उद्यमों को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु लागू नीतियों और कार्यक्रमों का लाभ प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्यमों को त्वरित रूप से उपलब्ध कराने तथा उनमें प्रदेश सरकार से वांछित सहयोग तथा भूमिका के निर्वहन हेतु नीतिगत संरचना निर्धारित की गई है। इस नीति के अन्तर्गत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार की सतत् योजनान्तर्गत चयनित लेटर ऑफ इन्ट्रेस्ट (एलओआई) होल्डर्स तथा जैव ऊर्जा से सम्बन्धित अन्य विभिन्न उद्यमों का नियमानुसार एक्सप्रेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट (ई0ओ0आई0) जारी किया जायेगा। तदोपरांत डीपीआर	

	आदि उपलब्ध कराने पर पंजीकरण कर नीति के लाभ दिये जायेंगे। 1.6 इस नीति का मुख्य बल अपशिष्ट आधारित जैव ऊर्जा उद्यमों के माध्यम से बायो सीएनजी तथा बायोकोल आदि के उत्पादन को बढ़ावा देना है परन्तु अपशिष्ट की उपलब्धता में सीजनल कमी आने अथवा जैव ऊर्जा प्लांट हेतु फीड स्टॉक की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, गैर-खाद्य तिलहन/फसलों जैसे करंज, नीम, एरंड, जैट्रोफा आदि के पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जायेगा। प्रदेश में जैव ऊर्जा के उत्पादन हेतु अतिरिक्त फीडस्टॉक बनाने के लिए लघु रोटेशन फसल जैसे कि मीठे ज्वार और ऊर्जा घास इत्यादि को बंजर भूमि में लगाया जायेगा। कृषि विभाग द्वारा किसानों तथा ग्राम पंचायतों की बंजर तथा अनुपजाऊ भूमियों पर फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों अथवा ग्रामीण उद्यमियों के माध्यम से गैर खाद्य तिलहन फसलों, लघु रोटेशन फसलों और ऊर्जा घासों के पौधारोपण तथा उत्पादन एवम् मूल्य श्रृंखला विकास का कार्य किया जायेगा।	
2- कृषि अपशिष्ट आधारित बायो सीएनजी/सीबीजी उद्यम		
2.1-2.3	2.1 नीति के अन्तर्गत पंजीकृत परियोजनाओं तथा उनके कैचमेंट एरिया/कमांड एरिया में सक्रिय फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों (एफपीओ)/सहकारी समितियों/गन्ना समितियों को बायोमास	कोई परिवर्तन नहीं

	के संग्रहण हेतु रेकर, बेलर तथा ट्रालर पर अपफ्रंट सब्सिडी कृषि विभाग की योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी। कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत इन उपकरणों पर दी जा रही सब्सिडी को कृषि विभाग द्वारा नीति के अन्तर्गत स्थापित इकाइयों को प्रदान करने हेतु यथासम्भवता भारत सरकार से अतिरिक्त लक्ष्य की मांग की जायेगी। नीति के अन्तर्गत उत्पादन युक्त उपकरण सीबीजी संयंत्रों को कृषि अपशिष्ट उपलब्ध कराने हेतु उनके कैचमेंट में सक्रिय फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों/सहकारी समितियों/ एग्रीगेटर को प्रदान किया जायेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा दी गयी सब्सिडी के अतिरिक्त सब्सिडी दी जायेगी। 2.2 कृषि विभाग द्वारा बायोमास संग्रहण हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में न्यूनतम एक फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी का गठन, प्रशिक्षण तथा हैण्ड होल्डिंग की जायेगी। कृषि विभाग द्वारा कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्रों को कृषि अपशिष्ट की आपूर्ति हेतु उनके कैचमेंट एरिया में एफपीओ के गठन, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के साथ ही उनके तथा एलओआई होल्डर्स के मध्य कृषि अपशिष्ट की दीर्घावधि आपूर्ति संविदा के निष्पादन हेतु फैसिलिटेशन किया जायेगा।	

	2.3 जनपदों में कृषि अपशिष्ट (पराली) निवेशक को पराली बाजार मूल्य पर सुगमता से उपलब्ध हो सके इस हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा। **क्र. सं. / पदनाम / दायित्व** 1. जिलाधिकारी — अध्यक्ष 2. मुख्य विकास अधिकारी — सदस्य 3. डिप्टी आर.एम.ओ. — सदस्य 4. उप कृषि निदेशक — सदस्य सचिव 5. जिला पंचायत राज अधिकारी — सदस्य 6. जिला कृषि अधिकारी — सदस्य 7. परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा — सदस्य 8. एफ.पी.ओ. संगठन/एग्रीगेटर — सदस्य 9. जैव ऊर्जा उद्यमी — सदस्य	
2.4	बायो सीबीजी संयंत्रों से सह-उत्पाद के रूप में निकलने वाले बायो मैन्यूर को फर्टीलाइजर कंट्रोल ऑर्डर-1985 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन दिनांक 13.07.2020 के द्वारा "फरमेंटेड ऑरगैनिक मैन्यूर में शामिल किया गया है। कृषि विभाग तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा जैव ऊर्जा इकाईयों से उत्पादित आर्गेनिक खाद के	बायो सीबीजी संयंत्रों से सह-उत्पाद के रूप में निकलने वाले बायो-मैन्यूर को फर्टीलाइजर कंट्रोल ऑर्डर-1985 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन दिनांक 13.07.2020 के द्वारा "फरमैंटेड ऑरगैनिक मैन्यूर" (एफ0ओ0एम0) में शामिल किया गया है। कृषि विभाग तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा जैव ऊर्जा इकाईयों से

	प्रयोग सम्बन्धी शोध, प्रसार तथा विक्रय, इसके सम्बन्ध मैनियत विशिष्टियों एवं मानकों के अन्तर्गत किया जायेगा। कृषि विभाग द्वारा संचालित तथा लाईसेंस शुदा खाद की दुकानों पर भी इस बायो मैन्यूर का क्रय विक्रय अनिवार्य रूप से किया जायेगा।	उत्पादित आर्गेनिक खाद के प्रयोग सम्बन्धी शोध प्रसार तथा विक्रय, इसके सम्बन्ध में नियत विशिष्टियों एवं मानकों के अन्तर्गत किया जायेगा। कृषि विभाग द्वारा संचालित तथा लाईसेंस शुदा खाद की दुकानों पर भी इस बायो मैन्यूर का क्रय विक्रय अनिवार्य रूप से किया जायेगा। कृषकों को खेतों में उपयोग किए जाने वाले एफ0ओ0एम0 के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। डी0बी0टी0 की राशि का भुगतान, एफ0ओ0एम0 की खरीद एवं उपयोग के सत्यापन के बाद ही किया जाएगा। डी0बी0टी0 योजना के संचालन, पात्रता, सत्यापन प्रक्रिया, दावा (क्लेम) प्रक्रिया तथा वजटीय प्रावधानों से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश कृषि विभाग द्वारा पृथक रूप से जारी किए जायेंगे। यूपीनेडा कृषि विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों तथा अनुसंधान संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन करेगी, ताकि जैव ऊर्जा उत्पादन तथा एफ0ओ0एम0, एल0एफ0ओ0एम0 और प्रोम जैसे मूल्य संवर्धित उत्पादों के विकास के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
2.5-2.7	2.5 निवेशकर्ता उत्पादित सीबीजी का उपयोग स्वयं द्वारा स्थापित सीबीजी पम्प	कोई परिवर्तन नहीं

	में विक्रय हेतु सभी वैधानिक अनापत्तियों को प्राप्त करने के उपरान्त कर सकेगा। 2.6 निवेशकर्ता को राज्य सरकार द्वारा उत्पादन पर सब्सिडी दी जायेगी। यह सब्सिडी भारत सरकार की अपशिष्ट/ बायोमास आधारित जैव ऊर्जा परियोजनाओं में दिये गये लाभ के अतिरिक्त होगा। 2.7 कृषि अपशिष्ट पर आधारित बायोकोल परियोजनाओं की स्थापना राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के कोयला आधारित बिजली संयन्त्रों के परिसरों में अप्रयोज्य भूमि उपलब्धता एवं वाणिज्यिक नियम तथा शर्तों के आधार पर अथवा उनके सन्निकट कराने, इनकी आपूर्ति/उपयोग विद्युत उत्पादन हेतु कोयले के साथ जलाने तथा अन्य उपयोग हेतु निजी निवेशकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र विद्युत उत्पादक द्वारा भी विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार बायोकोल क्रय किया जायेगा।	
2.8	उत्तर प्रदेश के प्रत्येक तहसील में एक बायो प्लाण्ट (सीबीजी या बायोपैलेट या बायोडीजल) लगाया जायेगा। तहसील को बायो प्लाण्ट हेतु कैचमैण्ट एरिया बनाया गया है।	2.8 (क) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक या एक से अधिक बायो प्लांट्स (कम्प्रेस्ड बायोगैस, बायो-कोल/बायो-पैलेट तथा बायो-डीजल) लगाए जाएंगे। सामान्यतः तहसील को बायो प्लांट्स हेतु कैचमेंट एरिया बनाया जाएगा । तहसील में जैव ऊर्जा संयंत्रों (कम्प्रेस्ड बायोगैस, बायो-कोल/बायो-पैलेट तथा बायो-

		डीजल) की स्थापना उपलब्ध फीडस्टॉक की उत्पादन क्षमता एवं निर्धारित संग्रहण क्षेत्र की वहन क्षमता (प्रावधान 6.3 के अनुसार) के आधार पर की जाएगी। फीडस्टॉक की उपलब्धता के आधार पर कम्प्रेस्ड बायोगैस, बायो-कोल/बायो-पैलेट तथा बायो-डीजल परियोजनाओं का पृथक-पृथक अनुमोदन किया जाएगा। 2.8 (ख) राज्य सरकार बायोमास की अधिक उपलब्धता वाले क्षेत्रों के निकट सीबीजी औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने को प्रोत्साहित करेगी, जिनमें फीडस्टॉक के संग्रहण एवं भंडारण की साझा व्यवस्था, सामान्य सुविधाएं तथा परिवहन एवं निकासी की समन्वित व्यवस्था विकसित की जाएगी।
2.9	नवीन उपबन्ध	प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क (सी0जी0डी0) से एकीकरण हेतु सभी आवश्यक कार्यों के लिए समयबद्ध स्वीकृतियाँ, राइट ऑफ यूज (आर0ओ0यू0), शुल्क इत्यादि के संबंध में वही प्रावधान लागू होंगे, जो सी0जी0डी0 नेटवर्क के संबंध में लागू हैं, एवं इस संदर्भ में सभी विभाग स्पष्ट निर्देश जारी करेंगे।
3- नगरीय ठोस अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, कृषि उपज मण्डियों के अपशिष्ट तथा चीनी मिलों के अपशिष्ट आधारित बायो सीएनजी/सीबीजी उद्यम।		
3.1 - 3.4	3.1 नगरीय ठोस अपशिष्ट पर आधारित उद्यमों को प्रदेश की नगर विकास विभाग	कोई परिवर्तन नहीं

	द्वारा जारी नीति के अन्तर्गत सुविधाएं अनुमन्य होंगी। 3.2 उ०प्र० में सहकारी समिति अधिनियम–1965 में दी गई व्यवस्था तथा उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लि0 की अनुमति से सहयोगी क्षेत्र की चीनी मिलों के परिसरों में उपलब्धतानुसार बायो–सीबीजी संयंत्रों की स्थापना की जायेगी तथा चीनी मिलों के सह–उत्पाद यथा प्रेसमड इत्यादि को अन्यत्र उपयोग न करने संबंधी आदेश निर्गत करते हुए इसकी आपूर्ति दीर्घावधि अनुबन्ध के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले बायो सीएनजी संयंत्रों हेतु की जायेगी, जिनमें फीडस्टाक की क्रय दर तथा बायो मैन्योर की रिवर्स आपूर्ति हेतु दर चीनी मिलों एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा आपस में तय की जायेगी। सीबीजी प्लांटों के सह–उत्पाद बायो–मैन्योर का वितरण चीनी मिल क्षेत्र में कृषकों को किया जायेगा। 3.3 उ०प्र० सरकार के अधीन पशुपालन विभाग द्वारा राजकीय पशु आश्रय स्थलों में उपलब्ध भूमि तथा गोबर की उपलब्धता हेतु दीर्घावधि संविदा के संपादन द्वारा सतत योजनान्तर्गत चयनित एलओआई होल्डर्स के माध्यम से सीबीजी संयंत्रों की स्थापना में सहयोग किया जायेगा। निजी गौशालाओं से गोबर के एकत्रीकरण, संग्रहण तथा उसका मूल्य निर्धारित करते हुए सीबीजी संयंत्रों तक	

	उनकी आपूर्ति हेतु मैकेनिज्म विकसित किया जायेगा। 3.4 राज्य कृषि उपज मण्डियों के अपशिष्ट के संग्रहण तथा सीबीजी संयंत्रों तक उनकी डिलिवरी हेतु भी मैकेनिज्म विकसित किया जायेगा। इसके लिए कृषि मण्डियों और सीबीजी संयंत्रों निवेशकों के बीच दीर्घावधि फीडस्टाक डिलिवरी संविदा संपादित की जायेगी।	
3.5	नवीन उपबन्ध	जनपदों में नगरीय ठोस अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, कृषि उपज मण्डियों के अपशिष्ट तथा चीनी मिलों के अपशिष्ट को बाजार मूल्य पर सुगमता से उपलब्ध कराने हेतु खंड 2.3 में उल्लिखित समिति में आवश्यकता के अनुसार गन्ना अधिकारी, नगर निकाय के अधिकारी, पशुपालन अधिकारी एवं मंडी समिति सचिव को भी सम्मिलित किया जाएगा।
3 (अ)	नवीन उपबन्ध	3 (अ)- कृषि विभाग तथा उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ)/ एग्रीगेटर्स, नगरीय स्थानीय निकायों (यूएलबी) तथा जनपद स्तरीय अधिकारियों को कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्रों हेतु कृषि अपशिष्ट की आपूर्ति, पृथक्करण, संग्रहण प्रक्रिया एवं क्रियान्वयन की मानक प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास प्रदान किया जाएगा। साथ ही, फीडस्टॉक की दीर्घकालिक आपूर्ति के

		अनुबंध, किसान उत्पादक संगठनों, नगरीय स्थानीय निकायों तथा विकासकर्ता के मध्य संपादित कराए जाने में भी सहायता प्रदान की जाएगी।
	4- प्रोत्साहन	
4.1-4.2	**4.1 विद्युत शुल्क में छूट** इस नीति के अन्तर्गत स्थापित जैव ऊर्जा उद्यमों को वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ की तिथि से 10 वर्षों तक विद्युत शुल्क में शत-प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। **4.2 स्टाम्प ड्यूटी की शतप्रतिशत छूट** जैव ऊर्जा उद्यमों/संयंत्रों की स्थापना अथवा फीडस्टॉक संग्रहण एवं भण्डारण हेतु निजी काश्तकारों से भूमि क्रय अथवा लीज के माध्यम से अर्जित किये जाने की दशा में किराये नामे/लीज/पंजीकरण विलम्ब पंजीकरण पर देय स्टाम्प ड्यूटी की शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।	कोई परिवर्तन नहीं
4.3	जैव ऊर्जा उद्यमों को प्रदेश के विकास प्राधिकरणों / जिला पंचायतों/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा लिये जाने वाले डेवलपमेन्ट चार्जेज से शत-प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।	जैव ऊर्जा उद्यमों को प्रदेश के विकास प्राधिकरणों / जिला पंचायतों/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा लिये जाने वाले डेवलपमेन्ट चार्जेज तथा मानचित्र स्वीकृति शुल्क में शत-प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
4.4	उपादान	

	(अ) इस नीति के अंतर्गत परिभाषित एग्रीगेटर को केन्द्र सरकार के सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अन्तर्गत संयंत्रों पर दी जा रही अधिकतम 50 प्रतिशत सब्सिडी के अतिरिक्त 30 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम ₹ 20 लाख की सीमा तक) प्रदेश सरकार द्वारा बेलर, रेकर एवं ट्राली उपकरणों पर एफपीओ के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। (ब) इसके अतिरिक्त जैव ऊर्जा उद्यम इकाइयों को भारत सरकार की नीति/योजना के अतिरिक्त, उत्पादन क्षमता पर अनुदान दिया जायेगा। इसके अन्तर्गत कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन पर रु0 75 लाख प्रति टन दर से अधिकतम रु0 20 करोड़ तक, बायोकोल उत्पादन पर रु0 75,000.00/- प्रति टन की दर से अधिकतम रु0 20 करोड़ तक, बायोडीजल के उत्पादन पर रु0 3 लाख प्रति किलोलीटर की दर से अधिकतम रु0 20 करोड़ दिया जायेगा। इस सब्सिडी का प्रयोग इकाई द्वारा प्लांट एवं मशीनरी, बुनियादी ढांचा, निर्माण, विद्युत आपूर्ति तथा परिवहन तंत्र सम्बन्धित खर्च के लिए किया जा सकता है, जिसमें प्रशासनिक भवन एवं भूमि की लागत सम्मिलित नहीं होगी।	कोई परिवर्तन नहीं
4.4	(स) इकाई को उपादान की देयता के विनिश्चय से पूर्व परियोजना संबंधी विस्तृत परियोजना प्रस्ताव का परीक्षण	इकाई को उपादान की देयता के विनिश्चय से पूर्व परियोजना संबंधी विस्तृत परियोजना प्रस्ताव का परीक्षण विषय

	विषय विशेषज्ञों की टीम से कराया जायेगा। पूंजीगत उपादान की धनराशि संबंधित इकाई के पूर्ण क्षमता पर वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने के उपरांत बैंक लोन एकाउण्ट में निर्गत की जायेगी। इसके अतिरिक्त अगर इकाई के निदेशक द्वारा कोई भी बैंक लोन नहीं लिया जाता है, तो पूंजीगतउपादान की धनराशि इकाई के बैंक एकाउन्ट में निर्गत की जायेगी। उपादान की स्वीकृति तथा परियोजना की पूर्णता की तिथि में समयविस्तार को अनुमन्य किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग सक्षम अधिकारी होंगे।	विशेषज्ञों की टीम से कराया जायेगा। पूंजीगत उपादान की धनराशि संबंधित इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने के उपरांत भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों के अनुसार संयंत्र के संचालन प्रदर्शन करने पर विकासकर्ता को निर्गत की जाएगी । यदि विकासकर्ता द्वारा परियोजना हेतु ऋण लिया जाता है, तो उपादान की धनराशि बैंक ऋण खाते में निर्गत की जाएगी । अगर इकाई के निवेशक द्वारा कोई भी बैंक लोन नहीं लिया जाता है, तो पूंजीगत उपादान की धनराशि इकाई के बैंक एकाउन्ट में निर्गत की जायेगी। उपादान की स्वीकृति तथा परियोजना की पूर्णता की तिथि में समय विस्तार को अनुमन्य किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग सक्षम अधिकारी होंगे।
4.5	यदि किसी उद्यमी द्वारा बायोप्लान्ट मैं0 50 करोड़ या उससे अधिक का निवेश किया जाता है तो उसे इकाई से अधिकतम 05 किमी० तक एप्रोच रोड की सुविधा मुख्य मार्ग तक दी जायेगी।	कोई परिवर्तन नहीं
	5- नोडल एजेंसी	
5	इस नीति के अन्तर्गत जैव ऊर्जा इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने तथा नीति के क्रियान्वयन हेतु यूपीनेडा नोडल एजेंसी होगी। नोडल एजेंसी द्वारा	कोई परिवर्तन नहीं

	निवेशकर्ता/विकासकर्ताओं का पंजीकरण, उनकी जिज्ञासाओं तथा समस्याओं का समाधान एवं विभिन्न विभागों में इन इकाइयों के लम्बित आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण में सहयोग प्रदान किया जायेगा।	
6- नीति के अन्तर्गत स्थापित होने वाले उद्यमों के पंजीकरण की प्रक्रिया		
6.1-6.2	6.1 पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार की सतत योजना अन्तर्गत पूर्व से जिन विकासकर्ताओं को एलओआई निर्गत हो चुका है तथा अन्य जैव ऊर्जा की इकाइयों का पंजीकरण वर्तमान नीति के अन्तर्गत किया जायेगा। 6.2 यूपीनेडा द्वारा सम्बन्धित विभागों यथा- कृषि, पशुपालन, नगर विकास, कृषि विपणन विभाग से सूचना प्राप्त कर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के अति शेष बायोमास की उपलब्धता के आधार पर जिलेवार/तहसीलवार जैव ऊर्जा उत्पादन की क्षमता अधिसूचित की जायेगी। नये सर्वेक्षण तथा रिपोर्ट के आधार पर समय-समय पर जिलेवार तथा तहसीलवार अतिशेष बायोमास की उपलब्धता एवं तद्नुसार बायोमास अपशिष्ट आधारित जैव ऊर्जा उत्पादन की क्षमता में संशोधन किया जा सकेगा।	कोई परिवर्तन नहीं
6.3	तहसील में अपशिष्ट बायोमास आधारित जैव ऊर्जा उत्पादन हेतु परियोजनाओं के पंजीकरण हेतु उस	जनपद में अपशिष्ट बायोमास आधारित जैव ऊर्जा उत्पादन हेतु परियोजनाओं का पंजीकरण उस जनपद के

	तहसील की अधिसूचित अपशिष्ट आधारित जैव ऊर्जा उत्पादन की क्षमता के अधिकतम 40 प्रतिशत तक की सीमा तक एक बायो प्लांट, सम्पूर्ण क्षमता का, पंजीकरण किया जा सकेगा ताकि जैव ऊर्जा के अतिरिक्त वैकल्पिक प्रयोगों हेतु भी बायोगास स्थानीय समुदाय को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहे। जिलाधिकारी की समिति की संस्तुति के आधार पर क्षेत्र का सम्बद्धीकरण घटाने अथवा बढ़ाने का कार्य एवं क्षमता का आंकलन कर पंजीकरण यूपीनेडा द्वारा किया जायेगा।	लिए अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा अधिसूचित अपशिष्ट आधारित जैव ऊर्जा उत्पादन क्षमता (तालिका-क एवं ख में उल्लिखित सीमा) तक किया जा सकेगा। इस सीमा के भीतर एक या एक से अधिक बायो प्लांट्स पंजीकृत किए जा सकेंगे, जिससे सम्बंधित प्लांट्स के संचालन हेतु पर्याप्त बायोमास की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित हो, परियोजनाओं के मध्य बायोमास की आपूर्ति को लेकर अवांछित प्रतिस्पर्धा अथवा ओवरलैप की स्थिति उत्पन्न न हो और उनकी वित्तीय व्यवहार्यता प्रभावित न हो। साथ ही जैव ऊर्जा के अतिरिक्त वैकल्पिक प्रयोगों हेतु भी बायोमास स्थानीय समुदाय को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहे। प्रत्येक परियोजना के संग्रहण क्षेत्र (कैचमेंट एरिया) का निर्धारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर किया जाएगा। समिति द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने के पंद्रह दिवस के अंदर संस्तुति की जाएगी। संस्तुति करते समय परियोजनाकर्ता द्वारा प्रस्तावित संग्रहण क्षेत्र को यथासंभव ध्यान में रखा जाएगा। संग्रहण क्षेत्र के संबंध में परियोजनाकर्ता का विकल्प प्राप्त करने हेतु यूपीनेडा द्वारा आवेदन पत्र में आवश्यक प्रावधान किया जाएगा। प्रत्येक परियोजना का संग्रहण क्षेत्र स्पष्ट सीमाओं (ग्राम/विकास खण्ड/तहसील आदि) के साथ निर्धारित किया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया

		जाएगा कि विभिन्न परियोजनाओं के संग्रहण क्षेत्र परस्पर ओवरलैप न करें। संशोधित नीति निर्गत होने के पूर्व से संचालित/निर्माणाधीन सी0बी0जी0 संयंत्रों के संग्रहण क्षेत्र का निर्धारण भी उपरोक्तानुसार किया जाएगा परन्तु जनपद में पूर्व से संचालित/निर्माणाधीन संयंत्रों के संग्रहण क्षेत्र का निर्धारण प्राथमिकता पर किया जाएगा तथा नवीन परियोजनाओं के संग्रहण क्षेत्र का निर्धारण शेष क्षेत्र में से किया जाएगा। निर्धारित संग्रहण क्षेत्र में उपलब्ध बायोमास के आधार पर परियोजना की क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। परियोजना की प्रस्तावित क्षमता, बायोमास की आवश्यकता एवं आच्छादन क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचित क्षमता की सीमा तक जैव ऊर्जा परियोजनाओं का पंजीकरण यूपीनेडा द्वारा किया जाएगा। पंजीकृत सी0बी0जी0 संयंत्र की न्यूनतम क्षमता 02 टी0पी0डी0 होगी। यदि किसी जनपद में अधिसूचित क्षमता से अधिक क्षमता के आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो स्वयं की भूमि की उपलब्धता, परियोजना की प्रस्तावित क्षमता, सभी आवश्यक अभिलेखों सहित पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि तथा परियोजना निवेशक की नेटवर्थ के आधार पर प्राथमिकता/स्वीकार्यता निर्धारित की जाएगी।

6.4	तहसील के अन्दर परियोजना के वास्तविक स्थल चयन हेतु विकासकर्ता को स्वतंत्रता रहेगी। परियोजना की क्षमता तथा बायोमास की आवश्यकता एवं आच्छादन क्षेत्रफल के अनुसार तहसील में अन्य किसी जैव ऊर्जा परियोजना का पंजीकरण नहीं किया जायेगा ताकि उक्त प्लांट के संचालन हेतु पर्याप्त बायोमास की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके तथा परियोजनाओं के बीच आपस में बायोमास आपूर्ति हेतु अवांछित टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो तथा उनकी वित्तीय व्यवहार्यता कुप्रभावित न हो। प्लांट की क्षमता तथा बायोमास की उपलब्धता के आधार पर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी दायरे की सीमा को बढ़ा सकेंगे। तहसील में उपलब्ध अपशिष्ट का उपयोग सम्बन्धित तहसील में किया जायेगा। यदि कोई बड़ी क्षमता का प्लाण्ट लगाता है तो दो तहसीलों को भी एक कैचमेण्ट एरियाजिलाधिकारी द्वारा घोषित किया जा सकता है।	6.3 में समाहित
6.5	विकासकर्ता (डेवलपर/प्रोमोटर) को प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं समय-समय पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी सुसंगत दिशा निर्देशों/विनियमों का पालन करना आवश्यक होगा।	कोई परिवर्तन नहीं। 6.4 के रूप में पढ़ा जायगा ।
6.6		परियोजना स्वीकृति के चरण 6.5

(6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11) – 6.6 में सम्मिलित	6.6- इस नीति के अन्तर्गत अपशिष्ट / बायोमास आधारित जैव ऊर्जा उद्यम की स्थापना हेतु इच्छुक विकासकर्ता द्वारा यूपीनेडा में ईओआई हेतु आवेदन पत्र निम्नलिखित दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया जायेगा:- (1) विहित प्रारूप में आवेदन । (2) कम्पनी के मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पंजीकृत सोसाईटी की उपविधियों की प्रमाणित प्रति । (3) भागीदारी-विलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि (यदि लागू हो)। (4) विगत तीन वर्षों के लेखे (बैलेन्स शीट) की प्रति। स्टार्टअप के केस में प्रोमोटर कम्पनी/मदर कम्पनी की बैलेन्सशीट। (5) पूर्व साध्यता (प्री-फीजिबिलिटी) प्रतिवेदन। (6) पंजीकरण शुल्क रूपये दस हजार प्रति इकाई मूल्य का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट। यह पंजीकरण शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।	6.5 (क) ई0ओ0आई0 हेतु आवेदन-इस नीति के अन्तर्गत अपशिष्ट/बायोमास आधारित जैव ऊर्जा उद्यम की स्थापना हेतु इच्छुक विकासकर्ता द्वारा यूपीनेडा में ई0ओ0आई0 हेतु ऑनलाइन आवेदन निम्नलिखित दस्तावेज के साथ किया जायेगा:- (1) विहित प्रारूप में आवेदन। (2) कम्पनी के मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन/पंजीकृतसोसाईटी की उपविधियों की प्रमाणित प्रति। (3) भागीदारी-विलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि (यदि लागू हो)। (4) विगत तीन वर्षों के लेखे (बैलेन्स शीट) की प्रति। स्टार्टअप के केस में प्रोमोटर कम्पनी/मदर कम्पनी की बैलेन्सशीट। (5) पूर्व साध्यता (प्री-फीजिबिलिटी) प्रतिवेदन । (6) पंजीकरण शुल्क रुपये दस हजार प्रति इकाई पोर्टल के माध्यम से जमा किया जाएगा। यह पंजीकरण शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा। यूपीनेडा द्वारा सभी प्राप्त आवेदनों की नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी, जिन आवेदनों के प्रपत्र पूर्ण होंगे तथा नीति के अन्तर्गत सभी शर्तें एवं आवश्यकताएँ पूरी

		होंगी, उन्हें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) जारी किया जाएगा। यदि परियोजना विकासकर्ता आवेदन करने की तिथि से 2 माह के भीतर आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं करता है अथवा उसका आवेदन अपूर्ण या अनुपयुक्त पाया जाता है, तो उसका आवेदनयूपीनेडा द्वारानिरस्त किए जाने योग्य होगा।
	6.7- विकासकर्ता द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज निर्धारित समय-सीमा (तीन माह) में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे: (1) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। (2) बायोमास असेसमेंट रिपोर्ट। (3) भूमि सम्बन्धी दस्तावेज (परियोजना हेतु चिन्हित स्थल)। (4) सी0पी0एम0/पर्ट चार्ट (प्रस्तावित परियोजना क्रियान्वयन हेतु)। (5) परियोजना स्थल पर पानी की उपलब्धता के आधार पर जल आवंटन आदेश। (6) परियोजना का स्थानीय क्षेत्र/ग्राम पंचायत में रजिस्ट्री होने की दशा में विकासकर्ता द्वारा सम्बन्धित नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र।	6.5 (ख)- ई0ओ0आई0 जारी किए जाने के पश्चात् विकासकर्ता द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज निर्धारित समय-सीमा (तीन माह) में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे: (1) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। (2) बायोमास असेसमेंट रिपोर्ट। (3) भूमि सम्बन्धी दस्तावेज (परियोजना हेतु चिन्हित स्थल)। (4) सी0पी0एम0/पर्ट चार्ट (प्रस्तावित परियोजना क्रियान्वयन हेतु)। (5) परियोजना स्थल पर पानी की उपलब्धता के आधार पर जल आवंटन आदेश। (6) परियोजना का स्थानीय क्षेत्र/ग्राम पंचायत में रजिस्ट्री होने की दशा में विकासकर्ता द्वारा सम्बन्धित नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र। **<u>समयावधि</u>**

		यदि इन अपेक्षित गतिविधियों को पूरा करने में विलम्ब होता है और यह विलम्ब विकासकर्ता के नियंत्रण से परे हो तो समाधान कर लेने के पश्चात् (प्रकरण की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार) 02-02 माह के तीन खण्डों में समय सीमा में वृद्धि की जा सकेगी।
	6.10- विकासकर्ता द्वारा जमा कराये गये अभिलेखों के यूपीनेडा स्तर पर परीक्षणोपरांत, संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में विकासकर्ता को स्वीकृति पत्र अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित निम्नानुसार राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जायेगा:	6.5 (ग)- स्वीकृति पत्र हेतु गठित समिति-विकासकर्ता द्वारा जमा कराये गये अभिलेखों के यूपीनेडा स्तर पर परीक्षणोपरांत, संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में विकासकर्ता को स्वीकृति पत्र अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित निम्नानुसार राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जायेगा:

1	अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग अथवा विशेष सचिव से अन्यून नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग अथवा विशेष सचिव से अन्यून नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव, न्याय विभाग अथवा	सदस्य

1	अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग अथवा विशेष सचिव से अन्यून नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग अथवा विशेष सचिव से अन्यून नामित प्रतिनिधि	सदस्य

	विशेष सचिव से अन्यून नामित प्रतिनिधि	
5	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपीअथवा विशेष सचिव से अन्यून नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग अथवा विशेष सचिव से अन्यून नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग अथवा विशेष सचिव से अन्यून नामित प्रतिनिधि	सदस्य
8	केन्द्र/राज्य सरकार के लब्ध प्रतिष्ठित विषय-विशेषज्ञ (यूपीनेडा द्वारा नामित)	सदस्य
9	निदेशक, यूपीनेडा	सदस्य सचिव

अभिलेखों के परीक्षण हेतु यथावश्यकता विषय विशेषज्ञों की सेवाएं ली जायेंगी। उक्त स्वीकृति पत्र के आधार पर विकासकर्ता को नीति के प्रस्तर 6.3 तथा 6.4 में वर्णित क्षेत्र सम्बद्धीकरण का लाभ तथा संबंधित संस्था से फीडस्टॉक आपूर्ति

4	अपर मुख्य सचिव, न्याय विभाग अथवा विशेष सचिव से अन्यून नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपीअथवा विशेष सचिव से अन्यून नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग अथवा विशेष सचिव से अन्यून नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग अथवा विशेष सचिव से अन्यून नामित प्रतिनिधि	सदस्य
8	केन्द्र/राज्य सरकार के लब्ध प्रतिष्ठित विषय-विशेषज्ञ (यूपीनेडा द्वारा नामित)	सदस्य
9	निदेशक, यूपीनेडा	सदस्य सचिव

	संबंधी दीर्घावधि अनुबंध के निष्पादन हेतु सुविधा तथा कैचमेंट एरिया में सक्रिय एफपीओ ग्रामीण उद्यमियों इत्यादि को अनुदान प्राप्त कृषि उपकरणों का लाभ सम्बंधी प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेंगे; परन्तु स्वीकृति पत्र में वर्णित शिड्यूल कमिशनिंग तिथि तक सयंत्रों के कमीशन न होने की स्थिति में उक्त स्वीकृति को निरस्त मानते हुए अन्य विकासकर्ता के पक्ष में उक्त स्वीकृति तथा तत्सम्बन्धी लाभ, प्रोत्साहन तथा सुविधाएं स्थानान्तरित की जा सकेंगी। उपरोक्त के अतिरिक्त यह समिति निम्न अतिरिक्त दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करेगी :-1-इस नीति के तहत अधिक से अधिक निवेश प्राप्त हों। 2- ऐसे निवेशकों, जिनको स्वीकृति दे दी गयी है, उनके कियान्वयन की प्रगति की समीक्षातथा उनके कियान्वयन में यदि कोई समस्या आ रही हो तो उसका निराकरण। 3- इस नीति में यदि कोई व्यवहारिक समस्या संज्ञान में आती है तो उसमें संशोधन के लिए संस्तुतियां प्रदान करना।	अभिलेखों के परीक्षण हेतु यथावश्यकता विषय विशेषज्ञों की सेवाएं ली जायेंगी। उक्त स्वीकृति पत्र के आधार पर विकासकर्ता को नीति के प्रस्तर 6.3 में वर्णित क्षेत्र सम्बद्धीकरण का लाभ तथा संबंधित संस्था से फीडस्टॉक आपूर्ति संबंधी दीर्घावधि अनुबंध के निष्पादन हेतु सुविधा तथा कैचमेंट एरिया में सक्रिय एफपीओ/ग्रामीण उद्यमियों इत्यादि को अनुदान प्राप्त कृषि उपकरणों का लाभ सम्बंधी प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेंगे; परन्तु स्वीकृति पत्र में वर्णित शिड्यूल कमिशनिंग तिथि तक सयंत्रों के कमीशन न होने की स्थिति में उक्त स्वीकृति को निरस्त मानते हुए अन्य विकासकर्ता के पक्ष में उक्त स्वीकृति तथा तत्सम्बन्धी लाभ, प्रोत्साहन तथा सुविधाएं स्थानान्तरित की जा सकेंगी। उपरोक्त के अतिरिक्त यह समिति निम्न अतिरिक्त दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करेगी :- 1-इस नीति के तहत अधिक से अधिक निवेश प्राप्त हों। 2- ऐसे निवेशकों, जिनको स्वीकृति दे दी गयी है, उनके कियान्वयन की प्रगति की समीक्षा तथा उनके क्रियान्वयन में यदि कोई समस्या आ रही हो तो उसका निराकरण।

		3- इस नीति में यदि कोई व्यवहारिक समस्या संज्ञान में आती है तो उसमें संशोधन के लिए संस्तुतियां प्रदान करना। 4- राज्य स्तरीय समिति नियमित रूप से लंबित आवेदनों की समीक्षा करेगी, पात्र आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करेगी। 5- यदि ई0ओ0आई0 धारक निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं करता है अथवा उसका प्रस्ताव अपूर्ण या अनुपयुक्त पाया जाता है, तो उसके पक्ष में निर्गत ई0ओ0आई0 राज्य स्तरीय समिति द्वारा निरस्त की जाएगी। यदि राज्य स्तरीय समिति द्वारा ई0ओ0आई0/परियोजना स्वीकृति को निरस्त किया जाता है तथा आवेदक को शासकीय भूमि आवंटित की जा चुकी है, तो आवंटित शासकीय भूमि वापस ले ली जाएगी। 6- आवश्यकता होने पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा इस नीति के संबंधित प्रावधानों की व्याख्या हेतु स्पष्टता प्रदान की जाएगी।
	6.8- विकासकर्ता द्वारा कुल आवेदित स्थलों के सापेक्ष प्रति स्थल नेटवर्थ के आधार पर क्षेत्र सम्बद्ध करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत बायो प्लॉण्टों हेतु जमा की गई डी०पी०आर० के आधार पर 03 प्रतिशत परफारमेंस गारण्टी प्राप्त कर इम्प्लीमेन्टेशन अनुबन्ध निष्पादित किया	6.5 (घ)- विकासकर्ता द्वारा कुल आवेदित स्थलों के सापेक्ष प्रति स्थल नेटवर्थ के आधार पर क्षेत्र सम्बद्ध करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत बायो प्लॉण्टों हेतु जमा की गई डी0पी0आर0 के आधार पर 03 प्रतिशत परफारमेंस गारण्टी प्राप्त कर इम्प्लीमेन्टेशन

	जायेगा। संयंत्रों की स्थापना हेतु निर्धारित समय सीमा इम्प्लीमेण्टेशन एग्रीमेण्ट से 02 वर्ष होगी।	अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी संयंत्र की वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात् वापस कर दी जाएगी। संयंत्रों की स्थापना हेतु निर्धारित समय-सीमा इम्प्लीमेण्टेशन एग्रीमेंट से 02 वर्ष होगी। 2 वर्ष की समय-सीमा के भीतर निम्नलिखित महत्वपूर्ण चरण प्राप्त किये जाने आवश्यक होंगे:	

क्र. सं.	समय-सीमा (माह)	महत्वपूर्ण चरण
1	2	संयंत्र का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
2	6	अभियांत्रिकी, क्रय एवं निर्माण एजेंसी का चयन तथा सामग्री का आदेश जारी कर दिया जाएगा। साथ ही, प्रशासनिक भवन सहित आंतरिक अवसंरचना का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा।
3	12	संयंत्र के निर्माण का 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

		4 | 24 | संयंत्र का निर्माण पूर्ण कर उसे शुरू (कमीशन) कर दिया जाएगा।
	6.9- समयावृद्धि इस नीति के प्रस्तर 6.7 में उल्लिखित अनुसार, यदि अपेक्षित गतिविधियों को पूरा करने में विलम्ब होता है और यह विलम्ब विकासकर्ता के नियंत्रण से परे हो तो समाधान कर लेने के पश्चात् (प्रकरण की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार) 2-2 मास के दो खण्डों में समय सीमा में वृद्धि की जा सकेगी।	6.5 (ख) में समाहित
6.5 (च)	-	6.5 (च)- जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना एवं संचालन के लिए आवश्यक सभी अनुमतियों, स्वीकृतियों, पंजीकरण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र का निस्तारण निवेश मित्र पोर्टल के अनुसार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाएगा। यूपीनेडा (UPNEDA) द्वारा सिंगल विंडो प्रणाली लागू की जाएगी। निर्धारित समय-सीमा से अधिक समय तक लंबित

		आवेदनों की समीक्षा यूपीनेडा की द्वि-स्तरीय व्यवस्था के माध्यम से की जाएगी तथा 30 दिनों से अधिक लंबित आवेदन स्वतः उच्च स्तर पर भेजे जाएंगे। विद्युत, जल, गैस तथा अन्य यूटिलिटी सेवाओं से संबंधित अनुमतियाँ 30 दिनों के भीतर जारी की जाएँगी। यदि 60 दिनों के भीतर संबंधित विभाग द्वारा कोई सूचना या आपत्ति जारी नहीं की जाती है, तो वैधानिक स्वीकृतियों को छोड़कर, सुरक्षा, तकनीकी एवं पर्यावरणीय मानकों तथा संबंधित विभाग के नियमों के अधीन, आवेदन को स्वीकृत माना जाएगा।

अनुमति / स्वीकृति	समय-सीमा
भूमि उपयोग परिवर्तन	45 दिन
विद्युत कनेक्शन	30 दिन
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति	30 दिन
अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र(फायर NOC)	30 दिन
जल आवण्टन	30 दिन

7- भूमि का आवंटन तथा तत्सम्बन्धी अनुमतियाँ		
7.1-7.2	7.1 उप में जैव ऊर्जा उद्यमों की स्थापना एवं संचालन हेतु 10 एकड़ भूमि 10 टन क्षमता के सीबीजी प्लांट के लिए तथा	कोई परिवर्तन नहीं

	भण्डारण हेतु 25 एकड़ भूमि विभिन्न स्थलों पर आवश्यक होती है।100 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के बायो-कोल प्लांट हेतु 02 एकड़ भूमि तथा 100 किलोलीटर बायो-डीजल/बायो-एथेनॉल प्लांट के लिए 1.5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। तदनुसार ही भूमि सम्बन्धित अनुमतियाँ तथा लैण्ड सीलिंग से छूट इत्यादि प्रदान करने हेतु विकासकर्ताओं के आवेदनों पर कार्यवाही की जायेगी। 7.2 जैव ऊर्जा उद्यमों/संयंत्रों की स्थापना तथा फीडस्टॉक के संग्रहण एवं भण्डारण हेतु प्रयुक्त भूमि को लैण्ड सीलिंग से डीम्ड छूट व कृषि से गैर-कृषि डीम्ड कन्वर्जन की व्यवस्था अनुमन्य होगी।	
7.3 (क)	राजस्व विभाग द्वारा जैव ऊर्जा उद्यमों/संयंत्रों की स्थापना तथा फीडस्टॉक के संग्रहण एवं भण्डारण हेतु अधिकतम 30 वर्षों की लीज अवधि हेतु भूमि एक रूपये प्रति एकड़ वार्षिक के टोकन लीज रेन्ट पर उपलब्ध कराई जायेगी। यह लीज नान-ट्रांसफरेबल होगी।	राजस्व विभाग द्वारा **पात्र** जैव ऊर्जा उद्यमों/संयंत्रों की स्थापना तथा फीडस्टॉक के संग्रहण एवं भंडारण हेतु **पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 06 माह के भीतर, उपलब्धता के आधार पर,** अधिकतम 30 वर्षों की लीज अवधि हेतु भूमि एक रूपये प्रति एकड़ वार्षिक के टोकन लीज रेन्ट पर उपलब्ध कराई जायेगी। यह लीज नान-ट्रांसफरेबल होगी।
7.3 (ख)	नगरीय ठोस अपशिष्ट आधारित जैव ऊर्जा संयंत्रों को भूमि प्रदेश के नगरीय विकास विभाग की नीति के अन्तर्गत सुविधायें अनुमन्य होंगी।	कोई परिवर्तन नहीं

8- अपशिष्ट आपूर्ति श्रृंखला का विकास		
8.1.1से 8.1.9	8.1जैव ऊर्जा उद्यमों में अपशिष्ट आपूर्ति सुनिश्चित कराना एक महत्वपूर्ण चुनौती रहती है। इस समस्या के समाधान हेतु नीति में सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला का विकास किया गया है। इसके अन्तर्गत एग्रीगेटर मॉडल का विकास हुआ है। इस मॉडल के अन्तर्गत जैव ऊर्जा उद्यमी, अपशिष्ट एग्रीगेटर एवं किसान के बीच दीर्घकालीन अनुबन्ध स्थापित किया जायेगा। इसे हेतु यूपीनेडा द्वारा एक आईटी आधारित एक पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का विकास किया जायेगा। इसके माध्यम से एग्रीगेटर, किसान एवं विकासकर्ता को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जायेगा। कोई भी एफपीओ, को-ऑपरेटिव सोसाइटी एवं गन्ना समिति द्वारा एग्रीगेटर का कार्य किया जा सकता है। इस एग्रीगेटर को उपरोक्त लिंके प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना होगा। जिला स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर एक तहसील के अन्तर्गत एक या एक से अधिक एग्रीगेटर को पंजीकृत किया जा सकता है। जिला स्तरीय समिति यह सुनिश्चित करेगी कि एग्रीगेटर की संख्या आवश्यकतानुसार सीमित रहे। यूपीनेडा द्वारा पंजीकृत एग्रीगेटर को मशीनरी हेतु सब्सिडी दिया जायेगा। सब्सिडी का दर भारत सरकार द्वारा दिये गये सब्सिडियन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अतिरिक्त 30 प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा	कोई परिवर्तन नहीं

	अधिकतम रु. 20 लाख की सीमा तक दिया जायेगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा आपूर्ति श्रृंखला के विकास हेतु निम्नलिखित दायित्व होंगे: 1-कृषि अपशिष्ट की आपूर्ति श्रृंखला हेतु किसानों, एग्रीगेटर एवं उद्यमी के मध्य समन्वय स्थापित करना। 2-सम्पूर्ण जिले में कृषि अपशिष्ट की उचित दर का आपसी सहमति के आधार पर निर्धारण करना। जिले में कृषि अपशिष्ट का एक ही मूल्य किसानों की सहमति से निर्धारित किया जायेगा। 3-एग्रीगेटर को कृषि अपशिष्ट के ट्रांसपोर्ट हेतु रेग्यूलेटरी सहयोग प्रदान करना। 4-जैविक खाद के मार्केटिंग हेतु उद्यमी का कृषि विभाग, उद्यान विभाग, नगर निकाय, विकास प्राधिकरण इत्यादि संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना। 5-उद्यमी को समस्त रेगुलेटरी क्लीयरेन्स के लिए उत्प्रेरित करना, जैसे अग्निशमन, लैण्ड सीलिंग, कृषक से अकृषक भूमि कन्वर्जन, सरकारी भूमि की उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति, पारेषण तन्त्र, विकास प्राधिकरण के डेवलपमेंट चार्ज का पेयर इत्यादि।	

	6-प्रत्येक एग्रीगेटर द्वारा कमाण्ड एरिया का अनुपालन सुनिश्चित कराना। 7-किसानों के भुगतान की समीक्षा। 8-जैविक खाद, कम्प्रेस्ड बायोगैस, बायो-पैलेट्स हेतु जारी अनुबन्ध का फैसिलिटेशन। 9-एक तहसील में एक से अधिक एग्रीगेटर होने की दशा में आवश्यकतानुसार एक से अधिक एग्रीगेटर को कृषि उपकरणों पर अनुदान हेतु संस्तुति यूपीनेडा को कर सकती है। एग्रीगेटर द्वारा न्यूनतम लागत सिद्धांत के अनुसार एक रूट चार्ट बनाया जायेगा जिससे किसानों से प्राप्त कृषि अपशिष्ट को सुगमता से प्लांट तक परिवहन किया जा सकेगा। एग्रीगेटर द्वारा किसानों का भुगतान 15 दिन के अन्दर किया जायेगा एवं उद्यमी द्वारा एग्रीगेटर का भुगतान 15 दिन के अन्दर किया जायेगा। उत्पादित बायोकोल की आपूर्ति उद्यमी द्वारा तापीय विद्युत परियोजनाओं को किया जायेगा। इस हेतु उद्यमी द्वारा तापीय विद्युत परियोजनाओं के साथ अनुबन्ध किया जायेगा।	

8.1.10	नवीन उपबन्ध	जैव ऊर्जा परियोजनाओं को नगर निकायों (यू.एल.बी.) के साथ दीर्घकालिक व्यवस्था करने में सहायता की जाएगी, ताकि परियोजनाओं को अलग-अलग एकत्रित किए गए जैविक नगर ठोस अपशिष्ट (ऑर्गेनिक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट) की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। यह व्यवस्था लागू ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार की जाएगी। इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत बिना किसी शुल्क के कच्चे माल (फीडस्टॉक) की आपूर्ति हेतु समझौते किए जाएंगे, जिससे जैव ऊर्जा संयंत्रों को गुणवत्तायुक्त फीडस्टॉक की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित हो सके तथा नगर ठोस अपशिष्ट का बेहतर प्रबंधन भी हो सके।
8.2	नवीन उपबन्ध	सीबीजी परियोजना संचालकों को अपने संयंत्र के उत्पादन तथा फीडस्टॉक (कच्चे माल) से संबंधित विवरण को नियमित रूप से राज्य सरकार और/या भारत सरकार द्वारा निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा।
9- बायोडीजल एवं बायोएथेनॉल		
9.1 से 9.3	9.1पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 30.04.2019 के अन्तर्गत उप्र में परिवहन प्रयोजन हेतु हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए जैव डीजल की बिक्री हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जैव डीजल (बी-100) की खुदरा बिक्री	कोई परिवर्तन नहीं

	हेतु अनुमति प्रदान करने व निरीक्षण इत्यादि के संबंध में कार्य प्रक्रिया नियत करने की कार्यवाही की जायेगी। 9.2बायो डीजल तथा बायोमास/कृषि अपशिष्ट आधारित बायो एथेनॉल का क्रय-विक्रय तेल विपणन कम्पनियों/वितरणकर्ताओं/मानकों के अनुसार किया जायेगा। 9.3भारत सरकार की अद्यतन जैव ऊर्जा नीति के अन्तर्गत प्रदेश में बायो डीजल तथा बायोमास/कृषि अपशिष्ट आधारित बायो एथेनॉल उत्पादन इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु अनुमन्य केन्द्रीय सब्सिडी सहित भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले प्रोत्साहन के अतिरिक्त प्रदेश में इन इकाइयों को फीडस्टॉक उपलब्ध कराने हेतु फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी/सरकारी समितियों के माध्यम से अस्वादित तिलहन पौधों/पेड़ों/ऊर्जा घास के रोपण तथा इस उद्देश्य हेतु खाली पड़ी ग्राम पंचायत/राजकीय भूमियों के आवंटन, प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण तथा आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण भी किया जायेगा।	
10- प्रकीर्ण		
10.1 से 10.5	10.1 इस नीति के अन्तर्गत स्थापित होने वाली जैव ऊर्जा इकाइयों द्वारा सम्बन्धित	कोई परिवर्तन नहीं

	पर्यावरणीय अधिनियमों, नियमों तथा विनियमों का अनुपालन अनिवार्य होगा।	
	10.2 अनुश्रवण, समीक्षा, अन्तर्विभागीय समन्वय, कठिनाइयों के निराकरण तथा नीति के सुचारु क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की जायेगी।	
	10.3 इस नीति के अन्तर्गत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित तकनीकों पर ही संबंधित और अन्यथा होने वाले बायो एथेनोल/बायोमास में जैवमास आधारित ईंधन का मिश्रण अनुमन्य नही होगा।	
	10.4 उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के क्रियान्वयन एवं उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के सहयोग से परियोजना प्रबंधन इकाई के गठन तथा संचालन हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था राज्य सरकार के बजट के माध्यम से की जायेगी।	
	10.5 प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जैव ऊर्जा नीति का व्यापक प्रचार-प्रसार कर उद्यमियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रति जनपद ₹1.0 लाख की दर से बजटीय व्यवस्था की जायेगी।	
11- नवीन उपबन्ध		

राज्य स्तरीय समिति द्वारा नीति के लक्ष्य के अंतर्गत ही परियोजनाओं की स्वीकृति दी जाएगी। जनपदवार क्षमता में संशोधन राज्य स्तरीय समिति की संस्तुति पर अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

तालिका- 'क'

क्रमसं0	जनपद	प्रेसमड से सी.बी.जी. उत्पादन क्षमता (टीपीडी)	कृषि अपशिष्ट से सी.बी.जी. उत्पादन क्षमता (टीपीडी)	कुल सी.बी.जी.उत्पादन क्षमता (टीपीडी)
1	SAHARANPUR	10	17	27
2	MUZAFFARNAGAR	22	6	28
3	SHAMLI	6	6	12
4	MEERUT	18	6	24
5	BAGPAT	6	10	16
6	BULANDSHAHAR	7	31	38
7	GHAZIABAD	2	6	8
8	GAUTAMBUDDH NAGAR		7	7
9	HAPUR	3	7	10
10	ALIGARH		46	46
11	HATHRAS		16	16
12	ETAH		18	18
13	KASGANJ		11	11
14	AGRA		6	6
15	MATHURA		26	26
16	FIROZABAD		14	14
17	MAINPURI		23	23
18	BAREILLY	7	46	53
19	BUDAUN		45	45
20	SHAHJAHANPUR	7	60	67
21	PILIBHIT	7	37	44
22	BIJNOR	24	14	38
23	MORADABAD	6	28	34
24	AMROHA	6	8	14
25	RAMPUR	3	42	45
26	SAMBHAL	6	20	26
27	FARRUKHABAD		8	8
28	KANNAUJ		12	12
29	ETAWAH		21	21
30	AURAIYA		20	20
31	KANPUR NAGAR		15	15
32	KANPUR DEHAT		25	25

33	FATEHPUR		36	36
34	PRAYAGRAJ		61	61
35	KAUSHAMBI		19	19
36	PRATAPGARH		28	28
37	JHANSI		13	13
38	LALITPUR		6	6
39	JALAUN		6	6
40	HAMIRPUR		6	6
41	MAHOBA		6	6
42	BANDA		14	14
43	CHITRAKOOT		6	6
44	VARANASI		15	15
45	CHANDAULI		36	36
46	GHAZIPUR		36	36
47	JAUNPUR		40	40
48	MIRZAPUR		34	34
49	SONBHADRA		20	20
50	BHADOHI		10	10
51	AZAMGARH		45	45
52	MAU		25	25
53	BALLIA		26	26
54	GORAKHPUR		48	48
55	MAHRAJGANJ		46	46
56	DEORIA		35	35
57	KUSHI NAGAR	7	33	40
58	BASTI	5	40	45
59	SIDDHARTH NAGAR		50	50
60	SANT KABIR NAGAR		25	25
61	LUCKNOW		16	16
62	UNNAO		25	25
63	RAEBARELI		46	46
64	SITAPUR	14	50	64
65	HARDOI	9	47	56
66	LAKHIMPUR KHERI	29	52	81
67	AYODHYA	5	32	37
68	AMBEDKAR NAGAR	2	40	42
69	SULTANPUR		34	34
70	BARABANKI		64	64
71	AMETHI		44	44
72	GONDA	6	35	41
73	BALRAMPUR	8	36	44
74	BAHRAICH	3	54	57
75	SHRAVASTI		25	25
	Total	228	2022	2250

तालिका - ख

क्रमसंo	जनपद	कृषि अपशिष्ट से बायोकोल उत्पादन क्षमता (टीपीडी)
1	SAHARANPUR	100
2	MUZAFFARNAGAR	100
3	SHAMLI	100
4	MEERUT	100
5	BAGPAT	100
6	BULANDSHAHAR	110
7	GHAZIABAD	100
8	GAUTAMBUDDH NAGAR	100
9	HAPUR	100
10	ALIGARH	130
11	HATHRAS	120
12	ETAH	120
13	KASGANJ	120
14	AGRA	120
15	MATHURA	120
16	FIROZABAD	120
17	MAINPURI	120
18	BAREILLY	100
19	BUDAUN	120
20	SHAHJAHANPUR	100
21	PILIBHIT	100
22	BIJNOR	110
23	MORADABAD	100
24	AMROHA	100
25	RAMPUR	100
26	SAMBHAL	110
27	FARRUKHABAD	110
28	KANNAUJ	120
29	ETAWAH	110
30	AURAIYA	110
31	KANPUR NAGAR	110
32	KANPUR DEHAT	110
33	FATEHPUR	100
34	PRAYAGRAJ	110
35	KAUSHAMBI	100
36	PRATAPGARH	100
37	JHANSI	120
38	LALITPUR	110
39	JALAUN	110
40	HAMIRPUR	110
41	MAHOBA	110
42	BANDA	120
43	CHITRAKOOT	100
44	VARANASI	100

45	CHANDAULI	100
46	GHAZIPUR	100
47	JAUNPUR	100
48	MIRZAPUR	100
49	SONBHADRA	110
50	BHADOHI	100
51	AZAMGARH	100
52	MAU	100
53	BALLIA	110
54	GORAKHPUR	100
55	MAHRAJGANJ	100
56	DEORIA	100
57	KUSHI NAGAR	100
58	BASTI	100
59	SIDDHARTH NAGAR	100
60	SANT KABIR NAGAR	100
61	LUCKNOW	100
62	UNNAO	110
63	RAEBARELI	100
64	SITAPUR	100
65	HARDOI	110
66	LAKHIMPUR KHERI	100
67	AYODHYA	100
68	AMBEDKAR NAGAR	110
69	SULTANPUR	110
70	BARABANKI	110
71	AMETHI	110
72	GONDA	110
73	BALRAMPUR	110
74	BAHRAICH	110
75	SHRAVASTI	110
	TOTAL	8000